एम-11015/177/2022-सीबी

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के.जी. मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून, 2022

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 09.06.2022 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक का संशोधित कार्यवृत्त।

दिनांक 16.06.2022 के समसंख्यक पत्र की निरंतरता में, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2022 को 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, नई दिल्ली में आयोजित वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक के संशोधित कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

2. इसे सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पंकज कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 2375 3817

प्रति प्रेषित,

सीईसी के सभी सदस्य

प्रतिलिपि : सचिव (पीआर) के वरिष्ठ पीपीएस / एएस (पीआर) के पीपीएस / जेएस (सीबी) के पीएस

प्रतिलिपि : मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी सेल को ।

9 जून 2022 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पहली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक 9 जून 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सीईसी बैठक के एजेंडे की संक्षिप्त जानकारी दी।

इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि संशोधित आरजीएसए को सरकार ने 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए 3700 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से और 2211 करोड़ रुपये के राज्य हिस्से सहित 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय पर मंजूरी दी है। संशोधित आरजीएसए के तहत, आरजीएसए योजना के कार्यान्वयन के दौरान समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। संशोधित योजना के तहत, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संरचित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का प्रावधान किया गया है ताकि पीआरआई में जनशक्ति की कमी से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके और वास्तविक समय डेटा प्रबंधन, ई-सक्षमता, अभिसरण को सुव्यवस्थित करने, पंचायतों और एलएसडीजी की योजना में बेहतर निगरानी और सहायता के साथ-साथ योजना की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा प्रदान की जा सके।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संशोधित आरजीएसए का फोकस पीआरआई को नेतृत्व की भूमिकाएं विकसित करने और नौ विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है। मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ बातचीत कर रहा है, जिसने मॉक ग्राम सभाओं, योजना तैयारी अभ्यास आदि जैसे करके सीखने पर ध्यान देने के साथ इंटरैक्टिव सीबीएंडटी के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों ने प्रशिक्षण के ऑनलाइन/वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं विकसित

की हैं, जिन्हें अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की जरूरत है और केवल कक्षा प्रशिक्षण के बजाय फील्ड विजिट, एक्सपोजर विजिट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही हितधारकों के व्यापक क्षमता निर्माण के लिए ऑडियो विजुअल एड्स को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि संशोधित आरजीएसए के तहत भी यही भावना जारी रहनी चाहिए ताकि आवंटित धनराशि का उपयोग पीआरआई को मजबूत बनाने और योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाभकारी रूप से किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को जल्द से जल्द राज्य नोडल खाते में राज्य के हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय निधि जारी करने का प्रयास करना चाहिए।

तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यसूची पर विचार किया गया।

<u>एजेंडा संख्या-1: संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन ढांचे का अनुसमर्थन:</u>

1.1 सीईसी को बताया गया कि **2022-23** से **2025-26** तक कार्यान्वयन के लिए संशोधित आरजीएसए योजना के अनुमोदन के बाद, योजना के कार्यान्वयन ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने **27.04.2022** और **28.04.2022** को दो दिवसीय लेखन कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और एक कार्यान्वयन रूपरेखा का मसौदा तैयार किया गया, जिसे समिति और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर आगे बढ़ाया गया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद, संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों, उनके एसआईआरडी आदि के साथ साझा किया गया ताकि **2022-23** की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में सुविधा हो सके। सीईसी ने संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे पर विचार किया और इसकी पुष्टि की।

<u>एजेंडा संख्या-2: 'सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के माध्यम से भारत में बदलाव' (टीआईएसपीआरआई) के लिए चरण-III का प्रस्ताव, जिसका कार्यान्वयन 2022-23 से 2025-26 तक होगा</u>

2.1 सीईसी को बताया गया कि 2017 में एनआईआरडी एंड पीआर को सीबी-पीएसए/आरजीएसए के तहत 'टीआईएसपीआरआई-I' नामक एक अभिनव परियोजना को तीन साल 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी। परियोजना के पूरा होने के बाद, TISPRI-II को NIRD&PR को 2020-21 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए 19.75 करोड़ रुपये (@9.86 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) की लागत से स्वीकृत किया गया था। NIRD&PR ने सूचित किया है कि TISPRI-II के सभी घटकों को मार्च 2022 तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

2.2 NIRD&PR द्वारा प्रस्तुत TISPRI चरण-III का प्रस्ताव प्रशिक्षण के सभी महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में PRI की क्षमता निर्माण में निरंतरता बनाए रखने के लिए है जैसे कि विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए SDG का स्थानीयकरण, पंचायतों का ई-सक्षमीकरण, OSR का जुटाव, PESA अधिनियम का कार्यान्वयन, RADPFI दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानिक योजना, WASH सेवाओं का अनुबंध प्रबंधन और लोगों की योजना अभियान को समर्थन, ग्राम सभा को जीवंत बनाना और सेवा आधारित नागरिक चार्टर आदि। TISPRI-III के लिए वर्षवार वित्तीय प्रस्ताव इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		कुल
प्रोजेक्ट गतिविधियाँ	627.10	627.10	627.10	627.10		2508.40
एचआर लागत	211.12	232.23	255.45	281.00		979.80
कुल	838.22	859.33	882.55	908.10		3488.20
10% संस्थागत शुल्क जोड़ें	83.82	85.93	88.25	90.81		348.81
कुल	922.04	945.26	970.8	998.91		3837.01
18% जीएसटी जोड़ें	165.96	170.14	174.74	179.80		690.64
कुल	**1088.00**	**1115.40**	**1145.54**	**1178.71**		**4527.65**

2.3 चूंकि, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) एक सतत प्रक्रिया है; सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और टीआईएसपीआरआई चरण-III को मंजूरी दी, जिसे एनआईआरडीएंडपीआर के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए टीआईएसपीआरआई चरण-II के मौजूदा घटकों के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि के साथ लागू किया जाएगा। बजटीय सहायता में किसी भी वृद्धि पर प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

<u>एजेंडा संख्या -3: 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए भारत भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्ता जीपीडीपी को सक्षम करने के लिए परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव</u>

3.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक परियोजना को 2020-21 और 2021-22 के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें जीपी के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता जीपीडीपी को सक्षम करने के माध्यम से समग्र और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए भारत भर में 1100 जीपी को कवर करने वाले 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाए गए थे। इसकी वार्षिक लागत 15.54 करोड़ रुपये है, जो कुल 31.08 करोड़ रुपये है। बताया गया कि परियोजना वर्तमान में 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 684 जीपी वाले 157 क्लस्टर (250 के मुकाबले) में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना को लागू करने के लिए, एमओपीआर ने शुरू में एनआईआरडी एंड पीआर को पहली किस्त के रूप में 7.77 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की और जारी की, जिसमें से 3.23 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि अभी भी एनआईआरडी एंड पीआर के पास पड़ी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीपी क्लस्टरों के 250 सफल मॉडल बनाने के लिए परियोजना को 2022-23 से 2025-26 तक 4 और वर्षों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव 167.75 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें परियोजना के तहत बढ़ा हुआ दायरा और गतिविधियां शामिल हैं।

3.2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और 2022-23 के लिए 15.54 करोड़ रुपये की लागत से भारत भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी, जिसे मौजूदा घटकों के साथ ही एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से लागू किया जाएगा। सीईसी ने 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए भारत भर में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करने के लिए परियोजना के विस्तार के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी दी। परियोजना के तहत अगले वर्षों के लिए बजटीय सहायता प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार की जाएगी।

3.3 सीईसी ने निर्देश दिया कि क्लस्टर में तैनात ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों और युवा साथियों का क्लस्टरवार विवरण नाम और संपर्क विवरण के साथ एक सप्ताह के भीतर एमओपीआर को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, राज्य कार्यक्रम समन्वयकों (एसपीसी) के संपर्क विवरण के साथ-साथ निर्दिष्ट राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और परियोजना के सक्रिय स्वयंसेवकों/समुदाय स्तर के संसाधन व्यक्तियों (सीएलआरपी) के नाम और संपर्क विवरण भी एमओपीआर को उपलब्ध कराए जाएं।

3.4 एनआईआरडी एंड पीआर को परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए, विशेष रूप से तैयार की गई जीपीडीपी की गुणवत्ता और जीपी में किए गए व्यय का विश्लेषण किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट का विधिवत विश्लेषण करके उसे नियमित आधार

पर मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परियोजनाओं के तहत पाई गई कमियों को एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। एमओपीआर को भी परियोजना की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की जांच करनी चाहिए और उचित सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

<u>एजेंडा संख्या 4: वर्ष 2022-23 के लिए (केंद्र शासित प्रदेशों) निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करना (केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सीबीएंडटी का विस्तार):</u>

4.1 सीईसी को बताया गया कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के सीबीएंडटी पर विशेष ध्यान देने के लिए 2018-19 में एनआईआरडीपीआर को 30.72 लाख रुपये की राशि के लिए एक परियोजना मंजूर की गई थी। तदनुसार, एनआईआरडीपीआर ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान 893 पदाधिकारियों को शामिल करते हुए विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 31-3-2022 तक इस परियोजना के तहत उपलब्ध शेष राशि अर्जित ब्याज सहित 5.13 लाख रुपये है।

4.2 एनआईआरडी एंड पीआर ने केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सीबीएंडटी के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। एनआईआरडी एंड पीआर ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दून और निकोबार हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में चार-चार दिन के कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। 2022-23 के दौरान 2.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

घटक	प्रतिभागियों/दिन की संख्या	दर	दिन	कार्यक्रम की संख्या	प्रस्तावित राशि
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीबीएंडटी प्रस्ताव	40	9000	4	15	2.67*

* कुल प्रशिक्षण लागत और यात्रा लागत में **25%** संस्थागत शुल्क**, 18%** जीएसटी शामिल है।

4.3 सीईसी ने एनआईआरडी एंड पीआर के प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष *2022-23* के लिए *95.80* लाख रुपये की कुल लागत के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में ईआर के सीबीएंडटी के विस्तार को मंजूरी दी, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है:

घटक	प्रतिभागियों/दिन की संख्या	दर	दिन	कार्यक्रम की संख्या	प्रस्तावित राशि रुपये में
केंद्र शासित प्रदेशों का सीबीएंडटी	40	2500 *	4	15	60,00,000
यात्रा व्यय					10,00,000
संस्थागत शुल्क @25%					15,00,000

घटक	प्रतिभागियों/दिन की संख्या	दर	दिन	कार्यक्रम की संख्या	प्रस्तावित राशि रुपये में
जीएसटी 18% की दर से					10,80,000
कुल					**95,80,000**

*राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित लागत मानदंड रु. 2500/- है।

<u>एजेंडा संख्या -5: स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भोपाल में ग्रामीण विकास के लिए स्थानिक योजना हेतु राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएसपीआरडी) की निरंतरता और मॉडल ग्रामीण परिवर्तन अधिनियम (एमआरटीए), 2022 के निर्माण पर विशेषज्ञ समिति।</u>

5.1 सीईसी को बताया गया कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) में ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्थानिक योजना केंद्र (एनसीएसपीआरडी) की स्थापना को सीईसी द्वारा 28.09.2021 को आयोजित बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत तीन साल (2021-12, 2022-23 और 2023-24) के लिए 1.20 करोड़ रुपये है। 2021-22 के दौरान 25.02.2022 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से एसपीए भोपाल को 0.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

5.2 एसपीए भोपाल ने 2022-23 के लिए 45,00,000 रुपये की कुल लागत के साथ एसपीए भोपाल में ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्थानिक योजना केंद्र (एनसीएसपीआरडी) और मॉडल ग्रामीण परिवर्तन अधिनियम (एमआरटीए), 2022 के निर्माण पर विशेषज्ञ समिति को जारी रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव भारत में विभिन्न स्थानिक नियोजन संस्थानों में स्थानिक ग्राम विकास के लिए मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के अलावा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों, जिला/ब्लॉक अधिकारियों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निरंतर शोध करने का है। प्रस्तावित अनुसंधान और संबद्ध गतिविधियाँ प्रस्तावित केंद्र के माध्यम से की जाएंगी। प्रस्ताव में स्थानिक विकास कार्यक्रम को बढ़ाने और इसे जीपीडीपी, रूर्बन मिशन, स्वामित्व आदि से जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जो भविष्य में गांवों के सतत विकास को बढ़ा सकते हैं। प्रस्ताव को एफडी डिवीजन द्वारा जांचा गया है। वर्ष 2022-23 के लिए घटकवार अनुमानित लागत/बजट निम्नानुसार है:

(राशि लाख रू.में)

क्र.सं.	गतिविधि	बजट
1.	एमआरटीए 2022 की बैठकों के निर्माण संबंधी विशेषज्ञ समिति	25.00
2.	एनसीएसपीआरडी के तहत अनुसंधान	20.00
	कुल	45.00

5.2 सीईसी ने एसपीए भोपाल के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दी गई ।

<u>एजेंडा संख्या 6: पुनर्गठित आरजीएसए के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना:</u>

6.1 समिति को सूचित किया गया कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित आरजीएसए के तहत 'तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए)' के केंद्रीय घटक में योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन के लिए एनपीएमयू की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, आरजीएसए के तहत एनपीएमयू की स्थापना की गई और मंत्रालय में रखा गया। संशोधित आरजीएसए में एनपीटीए का केंद्रीय घटक भी है, जिसमें एनपीएमयू का प्रावधान है, जिसमें पंचायतों और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषयों से संबंधित विभिन्न डोमेन क्षेत्रों से खींचे गए योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ/परामर्शदाता दीर्घकालिक और अल्पकालिक, प्रशिक्षु, सहायक कर्मचारी जैसे अनुवादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, सचिवीय कर्मचारी, एमटीएस आदि योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन के लिए हैं। एनपीएमयू निगरानी, अनुसंधान, क्रॉस स्टेट लर्निंग, अभियान, अभिनव गतिविधियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों की देखभाल करेगा और राज्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय और संशोधित आरजीएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, एनपीटीए के अंतर्गत संशोधित आरजीएसए में कार्यालय उपकरणों जैसे कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, कॉपियर, फर्नीचर की खरीद, वाहनों को किराये पर लेना/आउटसोर्स करना तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक अन्य गतिविधियों का प्रावधान है।

6.2 अनुबंध-II में दिए गए विस्तृत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा 4 वर्षों के लिए 18.20 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ इसे अनुमोदित किया गया, जिससे मंत्रालय में एनपीएमयू की स्थापना की जा सके, जिसमें निम्नलिखित मानव संसाधन तथा कार्यालय उपकरणों की खरीद - लैपटॉप, प्रिंटर, कॉपियर/स्कैनर, परिवहन तथा अन्य की आउटसोर्सिंग आधार पर खरीददारी की जाएगी, जैसा कि एनपीटीए के अंतर्गत योजना में प्रावधान किया गया है:

(i) परियोजना प्रबंधक - 1
(ii) परियोजना समन्वयक - 3 (विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे एसडीजी, पीपीईसी आदि के लिए)
(iii) विभिन्न प्रकोष्ठों/इकाइयों में परामर्शदाता - 27 (मौजूदा परामर्शदाताओं सहित)
(iv) कार्यालय सहायक - 8
(v) हिंदी अनुवादक - 2
(vi) स्टेनो ग्रेड-II - 2
(vii) मल्टी-टास्किंग स्टाफ - 9

6.3 एनपीएमयू की स्थापना, कार्यालय उपकरण और परिवहन सुविधाओं की खरीद के लिए अनंतिम वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार है, जो कि संशोधित आरजीएसए के एनपीटीए के तहत 7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की अनुमोदित लागत के अंतर्गत है:

(राशि करोड़ रू.में)

क्र. सं.	घटक	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**Total**
1	जनशक्ति की तैनाती	2.98	4.35	4.67	4.91	**16.89**

क्र. सं.	घटक	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
2	कार्यालय उपकरण	0.30	0.00	0.00	0.00	**0.30**
3	परिवहन	0.20	0.27	0.27	0.27	**1.01**
कुल		**3.48**	**4.62**	**4.94**	**5.18**	**18.20**

6.4 सीईसी ने निर्देश दिया कि उपर्युक्त मानव संसाधनों को या तो खुले बाजार के माध्यम से या एनआईसी/एनआईसीएसआई/बीईसीआईएल/एनआईआरडीएंडपीआर जैसी चिन्हित एजेंसियों या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, जिसे उपयुक्त समझा जाए, उपलब्ध कराया जा सकता है।

<u>एजेंडा संख्या-7: आरजीएसए के तहत एनपीएमयू के बकाया भुगतान का प्रस्ताव</u>

7.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि एनपीएमयू की स्थापना एनआईआरडीपीआर के माध्यम से की गई थी, जो मंत्रालय में स्थित है, जिसमें राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक (एनपीएम) और सलाहकार शामिल हैं। एनपीएमयू के तहत नए नियुक्त सलाहकारों के बराबर वेतन वृद्धि के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक (एनपीएम) और सलाहकारों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए धनराशि 2021-22 के दौरान एनआईआरडीपीआर को जारी की गई थी। हालांकि, एनआईआरडीपीआर द्वारा एनपीएम और सलाहकारों को वार्षिक वेतन वृद्धि का बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है। एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधि को इस संबंध में प्रगति से अवगत कराने के लिए कहा गया।

7.2 एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्थान की नीति के अनुसार बकाया राशि प्रदान नहीं की जा सकी। सीईसी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि एनपीएमयू की स्थापना आरजीएसए के तहत सीईसी की मंजूरी से की गई थी जैसा कि योजना में प्रावधान है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर को सीईसी की मंजूरी का अनुपालन करना होगा।

7.3 सीईसी ने एनपीएम और सलाहकारों की वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाया की धनराशि मंत्रालय द्वारा सीधे एनपीएम और सलाहकारों को जारी करने को मंजूरी दी। एनआईआरडी और पीआर को इसके लिए जारी की गई राशि वापस करने के लिए कहा जा सकता है। सीईसी ने निर्देश दिया कि मंत्रालय एनआईआरडीपीआर के माध्यम से नियुक्त मौजूदा सलाहकारों को आरजीएसए-एनपीएमयू के तहत लाने पर विचार कर सकता है, जैसा कि संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे में प्रावधान किया गया है और जैसा कि ऊपर एजेंडा संख्या 6 में अनुमोदित किया गया है।

एजेंडा संख्या 8: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाएं

8.1 सीईसी के अध्यक्ष के निर्देश :

• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की **<u>नवीन तथा आर्थिक विकास एवं आय संवर्धन परियोजनाओं</u>** पर पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा समिति की सिफारिशें सीईसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

<u>• एमआईएस पर प्रगति रिपोर्ट:</u> राज्य एमआईएस में प्रगति को जल्द से जल्द अद्यतन करना सुनिश्चित करें |

<u>• सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:</u> सभी राज्यों को पीएफएमएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने

और समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

8.2 इसके अलावा, राज्यों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी गई कि वे विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं/कार्यक्रमों तथा अपने राजस्व स्रोतों से संसाधनों का लाभ उठाकर और उन्हें एकीकृत करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें।

1. एक वर्ष के भीतर शेष ग्राम पंचायतों (जीपी) में सर्वोत्तम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कंप्यूटर का प्रावधान।
2. दो वर्षों के भीतर शेष जीपी में ग्राम पंचायत भवनों का प्रावधान, जिनके पास जीपी भवन नहीं हैं।

इसके बाद, सीईसी ने 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया। सीईसी द्वारा अनुशंसित इन राज्यों का बजट सारांश निम्नानुसार है:

(क) बजट सारांश असम 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (5000 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (6000 ई.आर.जी.पी.)	3.30
ख.	पंचायत विकास योजना (71025 प्रतिभागी)	14.316
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (45120 प्रतिभागी)	20.40
घ.	विशेष प्रशिक्षण (32900 प्रतिभागी)	10.469
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (53780 प्रतिभागी)	25.754
	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (700 जीपी की प्रत्यक्ष सहायता के लिए सहायता, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, एक्सपोजर विजिट (2000 के अंदर और 500 के बाहर), 2 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में 54 एमटी)	6.600
	सीबीएंडटी का कुल	**80.839**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	डीपीआरसी निर्माण (7 नए डीपीआरसी)	14.00
ख.	किराए के भवन पर बीपीआरसी (5 बीपीआरसी)	0.18
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**14.18**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (18 डीपीआरसी)	3.607
ग	बीपीआरसी आवर्ती लागत (5 बीपीआरसी)	0.21

	कुल (आवर्ती लागत)	**4.657**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**1.24**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता (पीआई)**	
क.	वीसी के लिए पीबी-213 न्यू का निर्माण	42.60
ख.	पीबी-48 कैरी ओवर का निर्माण	9.60
ग.	सीएससी-175 कैरी ओवर का सह-स्थापन	8.75
घ.	पीबी-181 कैरी ओवर की मरम्मत	7.24
	पीआई का कुल	**68.19**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (34 डीपीएमयू)	3.46
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (छह अनुसूचित क्षेत्रों सहित 219 बीपीएमयू)	10.512
	पीएमयू की कुल संख्या	**14.236**
7	**पंचायतों को ई-सक्षम बनाना**	
क.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (500 कैरी ओवर)	**2.50**
	कुल ई-सक्षमता	**2.50**
	कुल	**185.842**
8	आईईसी (अनुमोदित प्लान साइज का 2% तक)	3.717
9	पीएमयू (अनुमोदित प्लान साइज का 1.5% तक	2.788
	कुल योजना	**192.346**

(ख) कर्नाटक का बजट सारांश 2022-23

(Rs. in Cr.)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (9200 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (90000 ई.आर.जी.पी.)	35.5
ख.	पंचायत विकास योजना (214353 प्रतिभागी)	21.74
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (429336 प्रतिभागी)	34.35
घ.	विशेष प्रशिक्षण (194985 प्रतिभागी)	30.38
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (73986 प्रतिभागी)	28.33
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, एक्सपोजर विजिट (10000 के अंदर और 280 के बाहर), 8 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में 400 एमटी)	13.06
	सीबीएंडटी का कुल योग	**163.36**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (28 डीपीआरसी)	5.60
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (233 बीपीआरसी)	9.786
	कुल (आवर्ती लागत)	**16.226**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
क.	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (प्रत्येक को एसआईटी) (85 @ 1.5 लाख)	1.275
ख.	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति	1.00
ग.	प्रौद्योगिकी का कोई भी वैकल्पिक तरीका	0.75
7	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या**	**3.025**
8	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (31 डीपीएमयू)	3.348
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (233 बीपीएमयू)	11.184
	पीएमयू का कुल योग	**14.796**
	कुल	**197.41**
9	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	3.948
10	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	2.961
	कुल योजना	**204.319**

(ग) केरल का बजट सारांश- 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (13000 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (1213 ई.आर.जी.पी.)	4.476
ख.	पंचायत विकास योजना (5400 प्रतिभागी)	20.412
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (54578 प्रतिभागी)	23.43
घ.	विशेष प्रशिक्षण (36820 प्रतिभागी)	7.906
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (69417 प्रतिभागी)	30.734
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, एक्सपोजर विजिट (1500 के अंदर और 1000 के बाहर), 10 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में 700 एमटी)	5.87
	सीबीएंडटी का कुल योग	**92.828**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.09
ख.	किराए के भवन में डीपीआरसी (7 डीपीआरसी)	0.42
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराए पर लेना	0.323
घ.	किराये के भवन में बीपीआरसी **(152 ब्लॉक)**	5.472
ङ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराए पर लेना	0.378
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**6.684**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (14 डीपीआरसी)	2.80
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (152 बीपीआरसी)	6.384
	कुल (आवर्ती लागत)	**10.024**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	**1.465**
5	**पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)**	
क.	पीबी का निर्माण (7 कैरी ओवर)	1.40
ख.	पंचायत भवन की मरम्मत (22 कैरी ओवर)	0.88
ग.	सीएससी का सह-स्थापन (8 कैरी ओवर)	0.32
	पीआई का कुल	**2.60**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (14 डीपीएमयू)	1.512
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (152 बीपीएमयू)	7.296
	पीएमयू की कुल संख्या	**9.072**
	कुल	**122.673**
7	आईईसी (अनुमोदित प्लान साइज का 2% तक)	2.453
8	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	1.840
	कुल योजना	**126.967**

(घ) बजट सारांश महाराष्ट्र- 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक		सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**		
क.	सामान्य अभिमुखीकरण **(79809 प्रतिभागी)**/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण **(16808 ई.आर.जी.पी.)**		42.825
ख.	पंचायत विकास योजना **(914793प्रतिभागी)**		55.060
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - **(589398प्रतिभागी)**		60.064
घ.	विशेष प्रशिक्षण **(29538प्रतिभागी)**		9.844
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण **(13203प्रतिभागी)**		7.847
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (2584 के भीतर और 520 के बाहर), 12 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन)		7.337
	सीबीएंडटी का कुल योग		**182.977**
2	**संस्थागत अवसंरचना**		
क.	डीपीआरसी निर्माण **(2 कैरी ओवर)**		1.66
ख.	**जिला स्तर पर** प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था		0.207
ग.	**ब्लॉक स्तर पर** प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराये पर लेना		1.219
	कुल संस्थागत अवसंरचना का योग		**3.086**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**		
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत		0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)		1.20
	कुल (आवर्ती लागत)		**2.04**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**		**1.87**
5	**पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)**		
क.	पीबी का निर्माण (379 कैरी ओवर)		21.64
ख.	सीएससी का सह-स्थान (256 कैरी ओवर)		0.34
ग.	जीपी भवन की मरम्मत (49 कैरी ओवर)		0.43
	पीआई का कुल		**22.41**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**		
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)		0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (34 डीपीएमयू)		3.672
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (351 बीपीएमयू)		16.848
	पीएमयू की कुल संख्या		**20.784**
7	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता**		**17.253**

क्र.सं.	घटक		सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
8	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)**		
क.	अभिनव गतिविधि (कैरी ओवर): ग्रामीणों के उत्थान के लिए अभिनव सामाजिक-आर्थिक समाधान		0.60
ख.	अभिनव गतिविधि (कैरी ओवर): K 31 सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी सड़क निर्माण के लिए		2.00
	अन्य घटकों का कुल योग		**2.60**
	कुल		**253.02**
9	आईईसी (अनुमोदित प्लान साइज का 2% तक)		5.060
10	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)		3.795
	कुल योजना		**261.876**

ङ. मिजोरम का बजट सारांश -2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (**शून्य प्रतिभागी**)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण **(2502 ई.आर.जी.पी.)**	1.006
ख.	पंचायत विकास योजना **(2124 प्रतिभागी)**	2.305
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (**2256 प्रतिभागी)**	2.055
घ.	विशेष प्रशिक्षण **(5004 प्रतिभागी)**	1.835
ङ.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, एक्सपोजर विजिट (225 के अंदर और 100 के बाहर), 7 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में 30 एमटी)	1.471
	सीबीएंडटी का कुल	**8.672**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
क	डीपीआरसी निर्माण (एनईआर में लॉन्ग्टलाई सहित 4 नए)	8.00
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**8.00**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (9 डीपीआरसी)	1.80
	कुल (आवर्ती लागत)	**2.640**
4	**पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)**	
क.	पीबी का निर्माण (100 नए)	20.00
ख.	पीबी का निर्माण (146 कैरी ओवर)	29.20
ग.	सीएससी का सह-स्थान (50 नए)	2.50
	कुल पीआई	**51.70**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (11 डीपीएमयू)	1.188
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (28 बीपीएमयू)	1.344
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.796**
6	**पंचायतों को ई-सक्षम बनाना**	
क.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) **(141 नए)**	0.705
ख.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) **(450 कैरीओवर)**	2.25
	कुल ई-सक्षमता	**2.955**
	अन्य घटकों का योग	**76.763**
7	आईईसी (स्वीकृत प्लान साइज का 2% तक)	1.535
8	पीएमयू (स्वीकृत प्लान साइज का 1.5% तक)	1.151
	कुल योजना	**79.450**

ङ. नागालैंड का बजट सारांश 2022-23

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण **(6880 प्रतिभागी)/** पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण **(1100 ई.आर.जी.पी.)**	5.655
ख.	पंचायत विकास योजना (**13569 प्रतिभागी**)	2.565
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - **(16281 प्रतिभागी)**	4.846
घ.	विशेष प्रशिक्षण **(4030 प्रतिभागी)**	1.032
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण **(2568 प्रतिभागी)**	0.514
च.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (हैंडहोल्डिंग सहायता-10 जीपी, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, प्रशिक्षण सामग्री, एक्सपोजर विजिट (300 के अंदर और 50 के बाहर), 8 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में 184 एमटी)	1.795
	सीबीएंडटी का कुल योग	**16.407**
2	**संस्थागत अवसंरचना**	
क.	डीपीआरसी निर्माण **(4 नए)**	8.00
ख.	किराए के भवन में डीपीआरसी **(4 किराए के)**	0.24
ग.	**ब्लॉक स्तर पर** प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.09
	संस्थागत अवसंरचना का कुल योग	**8.33**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.308
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (8 डीपीआरसी)	0.660
	कुल (आवर्ती लागत)	**0.968**
4	**पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)**	
क.	पीबी का निर्माण (50 नए)	10.00
ख.	पीबी का निर्माण (34 कैरी ओवर)	0.68
	कुल पीआई	**10.68**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (11 डीपीएमयू)	1.122
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (74 बीपीएमयू)	2.664
	पीएमयू की कुल संख्या	**4.05**
6	**पंचायतों को ई-सक्षम बनाना**	
क.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (244 नए)	**1.22**
	ई.सक्षमता का योग	**1.22**
	अन्य घटकों का योग	**41.655**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.833
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.625
	कुल योजना	**43.113**

(छ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: यूटी ने पहली सीईसी बैठक में विचार के लिए 4.89 करोड़ रुपये की राशि का एएपी प्रस्तुत किया है, हालांकि, सीईसी ने पाया कि यूटी ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के अभिविन्यास प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव दिया है। तदनुसार, सीईसी ने यूटी को अपने एएपी को संशोधित करने और अगली बैठक में सीईसी के विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अनुबंध - I

~~9 जून, 2022 को आयोजित संशोधित आरजीएसए की पहली सीईसी बैठक में प्रतिभागियों की सूची~~

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	श्री सुनील कुमार, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय (समिति के अध्यक्ष)
2.	श्री सी. एस. कुमार, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
3.	श्री. आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
4.	श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
5.	श्री बी.के. बेहेरा, आर्थिक सलाहकार	पंचायती राज मंत्रालय
6.	श्री शिव शंकर प्रसाद, निदेशक सीबी एवं आईएफडी	पंचायती राज मंत्रालय
7.	श्री विजय कुमार, उप सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
8.	श्री संजय कुमार उपाध्याय, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
9.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
10.	डॉ। मल्लिनाथ कलशेट्टी, एसआईआरडी निदेशक	यशादा, महाराष्ट्र
11.	श्री आनंद एस. भंडारी, राज्य परियोजना निदेशक	आरजीएसए, महाराष्ट्र
12.	श्री शाम एम. पटवारी, उप निदेशक	आरजीएसए, महाराष्ट्र
13.	श्री दलबीर सिंह, अवर सचिव	एसईएंडएल विभाग, शिक्षा मंत्रालय
14.	श्री अंजन क्र. भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर	एनआईआरडी एंड पीआर
15.	श्री रीता लालनुनमावी पचुआउ, निदेशक	मिजोरम
16.	श्री डेविड लालथंटलुआंगा, सचिव, GLAD	मिजोरम
17.	श्री नेहजमंग सिमटे, उप सचिव	डोनर मंत्रालय
18.	श्रीमती पबित्रा कलिता, संयुक्त निदेशक	एसआईपीआरडी, असम, पीएंडआरडी विभाग
19.	श्री मुनींद्र शर्मा, निदेशक एसआईपीआरडी	एसआईपीआरडी, असम
20.	श्री बिक्रम गोस्वामी, एआरओ, एसआईपीआरडी	असम
21.	डॉ. एम एस डॉन्ग्लियानी, एसोसिएट प्रोफेसर	एसआईआरडी एंड पीआर, मिजोरम
22.	श्री लालचविमाविया, संयुक्त निदेशक	स्थानीय प्रशासन विभाग, मिजोरम
23.	श्री जॉन लहुनसाओघे,	एसपीएम, आरजीएसए, एलएडी
24.	श्री जॉय एलामोन, महानिदेशक, किला	केरल
25.	डॉ. जी.एस. गणेश प्रसाद, एएनएसएसआईआरडी	कर्नाटक
26.	श्रीमती के. लक्ष्मी प्रिया, निदेशक एएनएसएसआरआईडीपीआर	कर्नाटक
27.	श्री नेपोसो जेहियो, आईएएस	ग्रामीण विकास, नागालैंड सरकार
28.	श्री के. नीबू सेखोसे, एसएनओ, आरजीएसए	ग्रामीण विकास विभाग, नागालैंड
29.	डॉ. जेंथसुथो फोजी	एसआईआरडी नागालैंड
30.	श्री उसेतो, निदेशक	एसआईआरडी, नागालैंड
31.	श्री विलोपी, आरडीओ	नागालैंड, ग्रामीण विकास

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना का प्रस्ताव

2018-19 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित आरजीएसए के तहत 'तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए)' के केंद्रीय घटक में योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, आरजीएसए के तहत एनपीएमयू की स्थापना की गई। संशोधित आरजीएसए में एनपीटीए का केंद्रीय घटक भी है जिसमें योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), जिसमें संबंधित विषयों/विषयों के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ/परामर्शदाता, अनुवादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, सचिवीय कर्मचारी, एमटीएस इत्यादि जैसे सहायक कर्मचारी, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, कॉपियर, फर्नीचर जैसे कार्यालय उपकरणों की खरीद आदि शामिल है| एनपीएमयू का विवरण इस प्रकार है:

<u>राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई</u>

(i) कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एक एनपीएमयू स्थापित करेगा जो पंचायती राज मंत्रालय में स्थित होगा और कार्यक्रम तथा संशोधित आरजीएसए के घटकों के समन्वय निकाय के रूप में कार्य करेगा, ताकि पंचायती राज मंत्रालय को पेशेवर और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। विभिन्न इकाइयों और प्रकोष्ठों तथा संशोधित आरजीएसए से मिलकर बने एनपीएमयू में दीर्घकालिक और अल्पकालिक परामर्शदाता, प्रशिक्षु, आईटी पेशेवर और सहायक कर्मचारी (जैसे कार्यालय सहायक, मल्टी-टास्किंग स्टाफ) होंगे जो निगरानी, अनुसंधान, राज्य स्तर पर शिक्षण, अभियान, अभिनव गतिविधियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, राज्य कार्यक्रमों/संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय, संशोधित आरजीएसए और इसके केंद्रीय घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण का काम देखेंगे।

(ii) एनपीएमयू योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा, तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और शासन संबंधी मुद्दों पर राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। एनपीएमयू में निम्नलिखित इकाइयां और प्रकोष्ठ शामिल होंगे:

क) सतत विकास लक्ष्य प्रकोष्ठ - जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों की देखभाल के लिए विषयगत विशेषज्ञ शामिल हैं।

ख) क्षमता निर्माण इकाई - प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग, अनुसंधान और विश्लेषण, सीबीएंडटी गतिविधियों में क्रॉस स्टेट लर्निंग आदि से संबंधित योजना के

तहत विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए।

ग) राज्य निगरानी इकाई - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरजीएसए के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को संभालने और वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए।

घ) पंचायत योजना और मूल्यांकन प्रकोष्ठ (पीपीईसी) - योजना और एलएसडीजी के सुधार और सुचारू कार्यान्वयन के लिए बेहतर निर्णय लेने के लिए लोगों की योजना अभियान (पीपीसी), डेटा विश्लेषण, डेटा प्रबंधन, व्याख्या और नीति हस्तक्षेप के प्रबंधन के लिए।

ङ) प्रशासनिक और वित्तीय डेटा योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

च) संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन के दौरान आवश्यकतानुसार कोई अन्य विशेष या सामान्य प्रकोष्ठ उभर कर आया।

(i) एनपीएमयू में उपर्युक्त इकाइयां/प्रकोष्ठ शामिल होंगे और जहां आवश्यक हो, वहां गतिविधियों को आउटसोर्स करने की लचीलापन होगी। एनपीएमयू की विभिन्न इकाइयों/प्रकोष्ठों के अंतर्गत विस्तृत आवश्यकताएं जैसे संख्या, योग्यताएं, पारिश्रमिक, नियुक्ति का तरीका आदि का निर्णय सचिव, पंचायती राज की मंजूरी और आईएफडी की वित्तीय सहमति से किया जाएगा। आरजीएसए के एनपीएमयू/पीपीईसी आदि के मौजूदा सलाहकारों (2018-19 से 2021-22) का कार्यकाल सचिव, पंचायती राज की मंजूरी और आईएफडी की वित्तीय सहमति से उन्हीं शर्तों पर संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है।

(ii) संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन में एनपीएमयू इकाइयां राज्यों और पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी तथा राज्यों के बीच साझाकरण, निगरानी और मूल्यांकन आदि में भाग लेंगी। वे राज्यों को निम्नलिखित में भी सहायता करेंगी:

क) व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रणनीति और कार्य योजना विकसित करना।

ख) क्रॉस स्टेट शेयरिंग कार्यशालाओं और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के साथ-साथ दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से अंतर-राज्यीय अनुभव साझा करने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना।

ग) उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।

घ) इकाइयों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं सहित प्रस्तावों का मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय मुद्दों को उचित रूप से संबोधित किया गया है।

ङ) रणनीति तैयार करना और पीआरआई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण में सहायक सहायता प्रदान करना।

पंचायती राज मंत्रालय में संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत एनपीएमयू की स्थापना से संबंधित घटक और अन्य विवरण

क. एनपीएमयू की प्रस्तावित संरचना/संरचना:

क्र. सं.	प्रकोष्ठ	पदनाम	पदों की संख्या
1	सतत विकास लक्ष्य प्रकोष्ठ	प्रोजेक्ट मैनेजर	**1**
		परामर्शदाता	**9**
2	क्षमता निर्माण इकाई	**परियोजना समन्वयक**	**1**
		परामर्शदाता	**5**
3	राज्य निगरानी इकाई	**परियोजना समन्वयक**	**1**
		परामर्शदाता	**7**
4	पंचायत (पीपीईसी)योजना एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ	**परियोजना समन्वयक**	**1**
		परामर्शदाता	**4**
5	प्रशासनिक और वित्तीय डेटा योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	परामर्शदाता	**2**
		कार्यालय सहायक	**8**
		हिंदी अनुवादक	**2**
		स्टेनो	**2**
		एमटीएस	**9**
			52

ख. प्रस्तावित पारिश्रमिक

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक	टिप्पणी
1	प्रोजेक्ट मैनेजर	Rs.1,50,000-Rs.2,00,000	कोई अन्य भत्ता देय नहीं
2	प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर	Rs.1,00,000-Rs.1,50,000	-do-
2	सलाहकार	Rs.90,000-Rs.1,30,000	-do-
3	सलाहकार (सीबी यूनिट)	Rs.90,000-Rs.1,30,000	-do-
4	सलाहकार (एसएम यूनिट)	Rs.90,000-Rs.1,30,000	-do-
5	सलाहकार (पीपीईसी)	Rs.90,000-Rs.1,30,000	-do-
6	सलाहकार (एएफडीपीएसी)	Rs.90,000-Rs.1,30,000	-do-
7	कार्यालय सहायक	Rs.36,000-Rs.60,000	-do-
8	हिंदी अनुवादक	Rs.45,000-Rs.75,000	-do-
9	स्टेनो ग्रेड-II	Rs.40,000- Rs.70,000	-do-
10	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	एनसीआर/भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार	-do-

ग. एनपीएमयू की विभिन्न इकाइयों/प्रकोष्ठों के अंतर्गत योग्यता, पारिश्रमिक, नियुक्ति का तरीका आदि जैसी विस्तृत आवश्यकताओं का निर्धारण सचिव, पंचायती राज के अनुमोदन और आईएफडी की वित्तीय सहमति से किया जाएगा।

घ. प्रस्तावित एनपीएमयू की अनुमानित लागत

क्र. सं.	श्रेणी	नं.	वेतन (अगस्त 2022 से)	2022-23	संशोधित वेतन	2023-24	संशोधित वेतन	2024-25	संशोधित वेतन	2025-26
1	प्रोजेक्ट मैनेजर	1	150000	1200000	157500	1890000	165375	1984500	173644	2083725
2	परियोजना समन्वयक	3	100000	2400000	105000	3780000	110250	3969000	115763	4167450
3	सलाहकार (एसडीजी/सीबी यूनिट/एसएम यूनिट/पीपीईसी /एएफडीपीए सेल)	23	90000	16560000	94500	26082000	99225	27386100	104186	28755405

4	मौजूदा परामर्शदाता	3	90000	3307500	94500	3472875	99225	3646515	104186	3828851
	मौजूदा परामर्शदाता	1	110000	1347500	115500	1414875	121275	1485620	127339	1559901
5	कार्यालय सहायक	8	36000	2304000	37800	3628800	39690	3810240	41675	4000752
6	हिंदी अनुवादक	2	45000	720000	47250	1134000	49613	1190700	52093	1250235
7	स्टेनो ग्रेड-II	2	40000	640000	42000	1008000	44100	1058400	46305	1111320
8	मल्टी-टास्किंग स्टाफ $	9	18000	1296000	18900	2041200	19845	2143260	20837	2250423
कुल		**52**		**2977500**		**4445175**		**4667433**		**4900806**

क्रमांक **1,2,3,5,6,7,8** के पदों की गणना अगस्त **2022 (**आठ माह) से की जाएगी**)**

क्रमांक **4** के पद हेतु गणना अप्रैल **2022** से की गई है
क्रम संख्या **4** के पद के लिए पारिश्रमिक प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में संशोधित किया जाता है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **5** प्रतिशत वेतन वृद्धि की गणना की गई

प्रदर्शन के आधार पर 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 अगस्त 2022 से उपरोक्त जनशक्ति लागू हो सकती है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केवल शेष 8 महीनों के लिए लागत प्रक्षेपण लिया गया है। # अक्टूबर 2021 से 0.90 लाख से 1.10 लाख के वेतन बैंड में काम कर रहे मौजूदा सलाहकारों की संख्या 4 है। तदनुसार, 5% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक निकाला गया है। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष पूरा होने के बाद यानी अक्टूबर, 2022 में लागू होगी। $ एमटीएस का पारिश्रमिक 0.18 लाख / माह की दर से गणना की जाती है। हालांकि, यह एनसीआर / भारत सरकार के मौजूदा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार देय होगा।

ङ. एनपीएमयू स्टाफ के लिए यात्रा/छुट्टी दिशानिर्देश:

यात्रा: असाइनमेंट में शामिल होने या असाइनमेंट पूरा होने पर वापसी यात्रा के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए**,** द्वितीय एसी ट्रेन किराया/हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) की टीए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। होटल आवास के लिए **2500/-** रुपये प्रतिदिन तक का डीए स्वीकार्य है**,** शहर के भीतर यात्रा के लिए **250/-** रुपये प्रतिदिन तक स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति और **350/-** रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं के भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो लागू नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

छुट्टी: कार्मिक को कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर **24** छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी=**18,** बीमारी छुट्टी=**6)** के लिए पात्र माना जाएगा। कार्मिक को वर्ष में **8** दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं माना जाएगा (अनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी)। साथ ही**,** कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

च. कार्यालय उपकरण (लैपटॉप, कॉपियर/स्कैनर, प्रिंटर आदि) का प्रावधान

योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए एनपीएम और परामर्शदाताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यालय उपकरण - लैपटॉप, प्रिंटर, कॉपियर/स्कैनर के साथ-साथ परिवहन (आउटसोर्सिंग/किराए के आधार पर इनोवा या समकक्ष) और आउटसोर्सिंग आधार पर अन्य की भी आवश्यकता होगी, जैसा कि एनपीटीए के तहत योजना में प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रिकॉर्ड सीबी डिवीजन द्वारा बनाए रखा जाएगा।

छ. वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक जनशक्ति, कार्यालय उपकरण और परिवहन आदि की भर्ती के लिए एनपीएमयू का वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रू.में)

क्र. सं.	घटक	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	जनशक्ति की नियुक्ति	2.98	4.35	4.67	4.91	**16.89**
2	कार्यालय उपकरण	0.30	0.00	0.00	0.00	**0.30**
3	ट्रांसपोर्ट*	0.20	0.27	0.27	0.27	**1.01**
कुल		**3.48**	**4.62**	**4.94**	**5.18**	**18.20**

* ट्रांसपोर्ट (वाहन: इनोवा या समतुल्य) आउटसोर्सिंग/किराए के आधार पर 2500/- रुपये प्रति दिन प्रति वाहन।

****